

फर्द अहकाम

बनाम अंशरी देवी

पालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/25	पक्षकारान के वकील उपस्थित। आज अधिभाषक सत्र फागी में कार्य स्थगित किया है। पत्रावली नम आदेशानुसार दिनांक 7/3/25 को पेश हो।	
7/3/25	पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उपस्थित। वकील प्रतिवादी नं प्र.पत्र 022R3 जा.डी.आ जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रति दिलाई गई। पत्रावली वास्तु बहान प्र.पत्र 022R3 जा.डी.हेतु दिनांक 4/4/25 को पेश हो।	
4/25	पत्रावली पेश हुई है पीओ साहब अन्य सज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/4/25 को पेश है।	
7/4/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-बार रूककर आवाज दिलाई गई। फिर भी प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर